

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 35/भू0अ0/ज0स0/2016/

विज्ञापित

दिनांक

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फॉर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत नान्दोली एम.आई.टी. के बांध लाईन व डूब क्षेत्र में शेष रही भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञापित किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञापित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्ति करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञापित के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजाखेड़ा को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्न:-सूची।

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन

राजस्थान जयपुर।

दिनांक : २२-०५-१९

क्रमांक 35/भू0अ0/ज0स0/2016/ 1422-1425

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जयपुर।
- 2-निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृप्या प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
- 3-अधिसाधी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, द्वितीय धोलपुर को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
(क) इस विज्ञापित को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।
(ख) इस विज्ञापित को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4-भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजाखेड़ा जिला-धोलपुर को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सांराश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चरपा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन

राजस्थान जयपुर।

Teuh
S.P.
20/5/19

Teuh
Kul
31/05/19

Copy to SECBPR
& BEC (WR) II Dholpur
Kul

No-T-1536 (Pt-A)/ACE/JP/972-973

Date:-03-06-19

Copy forwarded to WR Circle Bhasalpur for necessary action

Copy forwarded to WR Div-II Dholpur for necessary action.

अधिसाधी अभियन्ता
(राजस्थान संसाधन विभाग)

जयपुर

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नान्दौली एम. आई.टी हेतु बॉध लाइन व डूबक्षेत्र में आने वाली भूमि की अवाप्ति हेतु धारा 19 के संशोधित प्रस्ताव भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राजाखेड़ा जिला धौलपुर ग्राम - नान्दौली ग्राम पंचायत नान्दौली तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान के अवाप्ति की जाने वाली भूमि के खातेदारों की सूची

गाँव का नाम ग्राम नान्दौली ग्राम पंचायत नान्दौली तह0 राजाखेड़ा

कं.स.	खसरा नं.	नाम कृषक मय पता	कुल भूमि		अवाप्ति की जाने वाली भूमि		जमीन की किस्म		
			बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
1	1652	किरोडी पुत्र लाखन गिर हि. 1/6 कौम गुसाई विलारहन रामवती वेवा व रामफूल सिंह रामवरन सिंह पुत्रान पि. दर्शन सिंह हि. 1/3 राहिन पी.एन.बी. शाखा राजाखेड़ा मु.वि.क. कौम ठाकुर बच्चूलाल पुत्र फूल सिंह हि. 1/12 उदयवीर मानसिंह पि. मातम सिंह हि. 1/12 सा. देह सरोज देवी वेवा कमल सिंह रजनसिंह मुकेशचन्द्र अजयपाल सुखवेन्द्र पुत्रान दीवसिंह हि. बरा. 1/6 कौम गुर्जर सा. सामलियापुरा मुरारी गिर छिंगागिर पुत्रान लाखनगिर कौम गुसाई हि. बरा. 1/6 सा. देह खातेदार सरोज देवी वेवा व कमल सिंह रंजन सिंह मुकेशचछ अजयपाल सुखवेन्द्र पुत्रान पि. दीप सिंह हि. बरा. 1/6 आरजीवी शाखा राजाखेड़ा मु.वि.क. व छिंगागिर हि. 1/12 किरोडी हि. 1/6 मुरारीगिर हि. 1/12 राहिन धौलपुर सह. भूवि बैंक शाखा राजाखेड़ा मु.वि.क. इ.न. 24465	5	15	5	15			बारानी सोयम
		महा योग	5	15	5	15			
		कुल अवाप्ति की जाने वाली भूमि	निजी		सरकारी		कुल		
			बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
		ग्राम नान्दौली							
		योग	5	15	0	0	5	15	

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर